राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
परिवहन विभाग
5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली–110054

सं एफ19(04)/परि0वि0/सचि0 शा0/2019/112627 दिनांक– 17.12.2023

सेवा में,

उप–सचिव(प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

विषय– दिनांक 18.12.2023 को सदन की बैठक में जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 82

महोदय,

विधान सभा के पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ संलग्न हैं।

यह माननीय परिवहन मंत्री के पूर्व अनुमोदन से जारी हुआ है।

आर· रामानाथन

(आर0 रामानाथन)
उपायुक्त(सचि0)
R. RAMANATHAN
Deputy Commissioner

Scanned with OKEN Scanner

/

विभाग का नाम – परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार

विभाग का पता – 5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या 82

सदस्य का नाम – श्री विजेन्द्र गुप्ता

दिनांक – 18/12/2023

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क. सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	डीटीसी के बेड़े में डीटीसी की कुल कितनी बसें एवं कुल कितने चालक हैं;	इस समय दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में कुल 4391 (3191 सीएनजी और 1200 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसें परिचालन में हैं तथा दिनांक 11.12.2023 तक नियमित चालकों की संख्या 4608 है और अनुबंधित चालकों की संख्या 5119 है। इसके अतिरिक्त डिम्ट्स (DIMTS) द्वारा परिचालित 2841 बसों के लिए चालाकों की संख्या 7102 हैं।
ख)	वर्ष 2025 तक डीटीसी के बेड़े में कुल कितनी बसें रह जाएंगी तथा डीटीसी की 10 वर्ष से अधिक पुरानी बसों की संख्या बताई जाए;	1 दिल्ली सरकार द्वारा संचालित 300 इलैक्ट्रिक बसों की परियोजना लागत 1989.28 करोड़ रुपये है। इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा इन 300 इलैक्ट्रिक बसों के 10 वर्षों के परिचालन की लागत 1824.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इन 300 बसों की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा 55 लाख रुपये प्रति बस कुल 165 करोड़ रुपये दी गई है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की राशि कुल परियोजना लागत का मात्र 8.3 प्रतिशत है। 2 दिल्ली सरकार द्वारा संचालित 1500 इलैक्ट्रिक बसों की परियोजना लागत 7366.73 करोड़ रुपये है । इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा इन 1500 इलैक्ट्रिक बसों के 12 वर्षों के परिचालन की लागत 6687.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इनमें से 921 बसों की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा 45,25,733 लाख रुपये प्रति बस की दर से कुल 416.82 करोड़ रुपये दी गई है तथा 579 बसों में दिल्ली सरकार द्वारा 45,25,733/– रुपये प्रति बस की कुल 262.04 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है । इस प्रकार भारत सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की राशि कुल परियोजना लागत का मात्र 5.65 प्रतिशत है। 3 दिल्ली सरकार द्वारा संचालित 100 इलैक्ट्रिक बसें (जोकि डी.एम.आर.सी. से अधिग्रहित की गई थीं) की परियोजना लागत 528 करोड़ रुपये है । इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा इन 100 इलैक्ट्रिक बसों के 12 वर्षों के परिचालन की लागत 483 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इन 100 बसों की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा 45 लाख रुपये प्रति बस कुल 45 करोड़ रुपये दी गई है। इस प्रकार भारत

Scanned with OKEN Scanner

		सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की राशि कुल परियोजना लागत का मात्र 8.5 प्रतिशत है। 4 उपरोक्त के अतिरिक्त 3980 इलैक्ट्रिक बसें ली जा रही हैं जिसमें भारत सरकार द्वारा कोई भी सब्सिड़ी/योगदान नहीं दिया जा रहा है तथा इन बसों का पूर्ण परिचालन लागत जोकि 18,879 करोड़ रुपये है, केवल दिल्ली सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। 5 सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने और यातायात को सुगम तथा प्रदूषण रहित करने के लिए दिल्ली सरकार की योजना है कि अगले दो वर्षों में दिल्ली में कुल 10,480 बसें संचालन में हों । इनमें से 80 प्रतिशत बसें (लगभग 8000) इलैक्ट्रिक बसें होंगी । इन बसों में से 1300 इलैक्ट्रिक बसें वर्तमान में दिल्ली सरकार के बेड़े में संचालित हैं । इसके अलावा 4580 इलैक्ट्रिक बसों का वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है । ये 4580 बसें आने वाले दो वर्षों में दिल्ली सरकार के बेड़े में शामिल हो जाएंगी । इसके अतिरिक्त लगभग 2400 इलैक्ट्रिक बसों का वर्क ऑर्डर निकट भविष्य में जारी किया जाएगा । 6 दिनांक 10.12.2023 तक दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 10 वर्ष से अधिक पुरानी 3191 सीएनजी बसें है।
ग)	क्या सरकार की पुरानी बसों के प्रतिस्थापन की कोई योजना है;	1. दिल्ली सरकार द्वारा संचालित 300 इलैक्ट्रिक बसों की परियोजना लागत 1989.28 करोड़ रुपये है। इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा इन 300 इलैक्ट्रिक बसों के 10 वर्षों के परिचालन की लागत 1824.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इन 300 बसों की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा 55 लाख रुपये प्रति बस कुल 165 करोड़ रुपये दी गई है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की राशि कुल परियोजना लागत का मात्र 8.3 प्रतिशत है। 2. दिल्ली सरकार द्वारा संचालित 1500 इलैक्ट्रिक बसों की परियोजना लागत 7366.73 करोड़ रुपये है । इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा इन 1500 इलैक्ट्रिक बसों के 12 वर्षों के परिचालन की लागत 6687.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इनमें से 921 बसों की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा 45,25,733 लाख रुपये प्रति बस की दर से कुल 416.82 करोड़ रुपये दी गई है तथा 579 बसों में दिल्ली सरकार द्वारा 45,25,733/– रुपये प्रति बस की कुल 262.04 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है । इस प्रकार भारत सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की राशि कुल परियोजना लागत का मात्र 5.65 प्रतिशत है। 3. दिल्ली सरकार द्वारा संचालित 100 इलैक्ट्रिक बसें (जोकि

Scanned with OKEN Scanner

		डी.एम.आर.सी. से अधिग्रहित की गई थीं) की परियोजना लागत 528 करोड़ रुपये है । इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा इन 100 इलैक्ट्रिक बसों के 12 वर्षों के परिचालन की लागत 483 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इन 100 बसों की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा 45 लाख रुपये प्रति बस कुल 45 करोड़ रुपये दी गई है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की राशि कुल परियोजना लागत का मात्र 8.5 प्रतिशत है। 4. उपरोक्त के अतिरिक्त 3980 इलैक्ट्रिक बसें ली जा रही हैं जिसमें भारत सरकार द्वारा कोई भी सब्सिड़ी/योगदान नहीं दिया जा रहा है तथा इन बसों का पूर्ण परिचालन लागत जोकि 18,879 करोड़ रुपये है, केवल दिल्ली सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। 5. सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने और यातायात को सुगम तथा प्रदूषण रहित करने के लिए दिल्ली सरकार की योजना है कि अगले दो वर्षों में दिल्ली में कुल 10,480 बसें संचालन में हों । इनमें से 80 प्रतिशत बसें (लगभग 8000) इलैक्ट्रिक बसें होंगी । इन बसों में से 1300 इलैक्ट्रिक बसें वर्तमान में दिल्ली सरकार के बेड़े में संचालित हैं । इसके अलावा 4580 इलैक्ट्रिक बसों का वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है । ये 4580 बसें आने वाले दो वर्षों में दिल्ली सरकार के बेड़े में शामिल हो जाएंगी । इसके अतिरिक्त लगभग 2400 इलैक्ट्रिक बसों का वर्क ऑर्डर निकट भविष्य में जारी किया जाएगा ।
घ)	यात्री सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा बसों का रख–रखाव कैसे किया जा रहा है, पूर्ण जानकारी दें;	कलस्टर बसों को निर्धारित एस.ओ.पी. के अनुसार दैनिक आधार पर संबंधित डिपो में रख रखाव किया जाता है। बसों में सीसीटीवी0 कैमरे, पैनिक बटन सहित सुरक्षा उपकरण चालू हालत में उपलब्ध हैं। डी.टी.सी. की सीएनजी बसों के रख–रखाव का काम वार्षिक रखरखाव अनुबंध के तहत बस निर्माता कम्पनी और उनके सेवा प्रदाता के द्वारा किया जा रहा है एवं इलेक्ट्रिक बसों के रख–रखाव का काम Gross Cost Contract (GCC) Model के तहत ओपरेटरों के द्वारा किया जा रहा है।
ङ	कुल कितने बस चालकों को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) में भेजा जा रहा है;	समय–सयम पर विभिन्न विभागों द्वारा चालकों की मांग की जाती है तथा समयानुसार चालकों की उपलब्धता को देखते हुए उन विभागों में चालकों को अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है । नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के निदेशक (कार्मिक) के पत्र दिनाँक 31.10.2023 द्वारा 50 एच.एम.वी. (HMV) चालकों की मांग का निवेदन प्राप्त हुआ था। सक्षम प्राधिकारी यानी एमडी–डीटीसी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कुल 50 चालकों को एनडीएमसी भेजा गया है। जिसके एवज में एनडीएमसी द्वारा दिल्ली परिवहन निगम को इन चालकों के वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान किया जाएगा।
च)	वहां भेजने के कारण क्या हैं और किन	डीटीसी. में ड्राइवरों की अधिकता और एनडीएमसी द्वारा 50

Scanned with OKEN Scanner

<table>
<tr><td></td><td>नियम–शर्तों के आधार पर भेजा जा रहा है, विस्तृत ब्यौरा दें;</td><td>एचएमवी ड्राइवरों की मांग के कारण 50 एचएमवी ड्राइवरों को एनडीएमसी में भेजा गया। जिसके लिए दोनो सरकारी एजेंसियों के बीच नियम और शर्तें तय की गई है। कॉपी परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>छ)</td><td>डीटीसी एवं कलस्टर बसों से पिछले 05 वर्षों में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं तथा इन दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मौत हुई है, विस्तृत ब्यौरा दें; और</td><td>
<table>
<tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>दुर्घटना की कुल संख्या (कलस्टर)</th><th>दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या</th></tr>
<tr><td>2019–2020</td><td>32</td><td>20</td></tr>
<tr><td>2020–2021</td><td>28</td><td>26</td></tr>
<tr><td>2021–2022</td><td>37</td><td>36</td></tr>
<tr><td>2022–2023</td><td>55</td><td>31</td></tr>
<tr><td>2023–2024 till 04-12-2023</td><td>55</td><td>18</td></tr>
</table>
दिल्ली परिवहन निगम की बसों से पिछले 5 वर्षों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं तथा उससे हुई लोगों की मौत का विवरण निम्न प्रकार है:–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>कुल दुर्घटनाओं की संख्या जिसमें डी.टी.सी की बसें संलिप्त थी</th><th>दुर्घटनाओं में मरने वालो व्यक्तियों की संख्या</th></tr>
<tr><td>2018</td><td>109</td><td>22</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>128</td><td>32</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>77</td><td>18</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>84</td><td>20</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>120</td><td>36</td></tr>
<tr><td>2023 (नवम्बर तक)</td><td>87</td><td>19</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>झ)</td><td>इन सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए परिवहन विभाग ने क्या कदम उठाए हैं?</td><td>
1. दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिए दिनाँक 01.04.2022 से Bus Lane Enforcement Drive चलाई जा रही है जिसमें परिवहन विभाग, दिल्ली परिवहन निगम एवं कलस्टर की संयुक्त टीम लगाई गई है जिनकी कुल संख्या लगभग 100 है ।

2. अब तक कुल 5490 बस–चालकों का चालान किया जा चुका है ।

3. बस चालकों को बस लेन में चलाने हेतु अवरोध न हो उसके लिए अवरोध उत्पन्न करने वाले वाहनों का परिवहन विभाग द्वारा चालान किया जाता है । दिनाँक 01.04.2022 से किए गए अन्य वाहनों का चालान संख्या 2,28,237 है ।

4. सड़क दुर्घटना में शामिल चालकों को Institute of Driving and Traffic Resarch (I. D .T. R.) के द्वारा दो दिवसीय Refresher Course करवाया
</td></tr>
</table>

Scanned with OKEN Scanner

		जाता है उसके पश्चात् ही उन्हें पुनः बस चलाने का कार्य दिया जाता है । 5. समय–समय पर दिल्ली यातायात पुलिस व दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा बस चालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा counselling की जाती है। इस विषय में डिपो का निरीक्षण भी किया जाता है ताकि सड़क दुर्घटनाओं की पुनर्वृत्ति को रोका जा सके। 6. परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनाँक 11.04.2022 के दिशा–निर्देश के अंतर्गत बस लेन का उल्लंघन करने वाले बस चालकों के विरूद्ध 10 हजार रुपये का जुर्माना व सजा का भी प्रावधान है । तीन बार उल्लंघन करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान है ।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

(आशीष कुन्द्रा)
प्रमुख सचिव सह आयुक्त (परिवहन)
विभागाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

82 US-8

ELECTRIC ESTABLISHMENT UNIT - II
NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL
PALIKA KENDRA: NEW DELHI

Ref. No. S.O. (EE-II)/ /2023 Dated:

The Managing Director
Delhi Transport Corporation,
(Govt. of NCT of Delhi),
Delhi - 110009

Sub: Regarding requirement of 50 HMV Drivers in NDMC

Sir,

I am directed to say that NDMC proposes to hire 50 numbers of HMV Drivers from DTC. The HMV Drivers should be holding a valid HMV License without any punishment under the Motor Vehicle Act during the preceding last 2 years.

2 You are requested to kindly forward the terms & conditions of DTC for providing the drivers. This may be accorded top priority.

Yours faithfully

Signed by
Sanjay Prasad
Director (Personnel)
Date: 31-10-2023 09:13:24

Copy to:
1. Commissioner (Transport), GNCTD.

Scanned with OKEN Scanner

2

DELHI TRANSPORT CORPORATION
(GOVT. OF N.C.T. OF DELHI)
I.P ESTATE: NEW DELHI

No- PL/DDTC/2023/5282

Dated: 02.11.2023

To,

Director(Personnel),
Electric Establishment Unit-II,
New Delhi Municipal Council,
Palika Kendra: New Delhi

Sub:- Regarding requirement of 50 HMV DTC Drivers in NDMC.

Sir,

This is in reference to your letter no. S.O(EE-II)/A-4-2011/832/23023-E(Estt.)-II dated 31.10.2023 regarding requirement of 50 HMV Drivers in NDMC.

2) In the above context, please find enclosed the duly approved Terms & Conditions for Providing DTC Drivers in NDMC(copy enclosed).

This is for information & further necessary action at your end, please.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Pankaj Kumar)
Manager(Personnel)
Mobile- 8744073183

Scanned with OKEN Scanner

TERMS & CONDITIONS FOR PROVIDING DTC DRIVERS IN NDMC

I. During the period of service of these drivers in NDMC, they will continue to draw the pay presently being drawn by them in DTC along with all the applicable allowances, bonus etc. of DTC.

II. The NDMC will reimburse the leave salary, pension contribution, PF etc. in actual as per applicable rules of DTC.

III. The drivers will be governed by the medical rules of the DTC and NDMC will reimburse payment of medical bills in actual to DTC.

IV. These drivers will be governed by the leave rules applicable to them in DTC.

V. The period of deployment of the employee commences on the date he hands over the charge of his post in this Corporation and ends on the date on which he assumes duty in the parent department.

VI. The NDMC shall maintain the attendance record as well as leave details and forward the details of the preceding month to DTC within one week after the end of every month.

VII. The duties of these drivers will exclusively be utilized in NDMC and they will not be transferred to any organization/department outside the admin control of NDMC.

VIII. In case of promotion, the Drivers shall be repatriated to DTC for joining the Duties of Higher responsibilities. Drivers will be replaced by equal number of Drivers in time.

IX. The drivers must report to DTC medical board for conducting regular medical examination as per guidelines issued by this Corporation vide letter No.PLD-3/Driver Medical/2019/293 dated 22/01/2019(copy enclosed).

X. The NDMC shall pay the quarterly salary of these 50 HMV regular drivers in advance to DTC by the 15th of the first month of every quarter.

XI. The drivers will be governed by the rules/ regulations of DTC and any violation of the duties by the driver observed by NDMC will result into replacement/disciplinary action as per merit of the case by DTC.

XII. The tentative estimated financial implication of regular driver is Rs. 70,000 per month and the total financial implication for deputing 50 regular drivers will be approximately Rs. 35 lakhs excluding pensionary benefits, medical expenses and other employee benefits etc.

Scanned with OKEN Scanner

(4)

डॉ. अंकिता चक्रवर्ती, भा.प्र.से.
सचिव
Dr. Ankita Chakravarty, I.A.S.
Secretary

आज़ादी का अमृत महोत्सव

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL
पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi-110001

G20

No. A-42011/832/2023-E(Estt.)-II (E file No. 144979)

Dated 22.11.2023

MD Office
DTC/2023/12760
Date 23/11/2023

DTC PLD
Diary No. 6597
Date 28/11/23

To

The Managing Director
Delhi Transport Corporation
(Govt. of NCT of Delhi)
Delhi-110009

Subject: Regarding requirement of 50 HMV DTC Drivers in NDMC.

Sir,

I am directed to refer to your Office's letter No. PLDDTC/2023/5282 dated 02.11.2023 on the subject cited above and to convey the approval of the Competent Authority for acceptance of the terms and conditions as stipulated in the under-reference letter for providing 50 HMV Drivers to NDMC.

2. It is therefore, requested to kindly provide the list of 50 HMV drivers along with other requisite details who are willing and clear from vigilance angle & also medically fit to perform the requisite duties attached with the post for further processing in the matter.

Yours faithfully,

22/11/23

(Dr. Ankita Chakravarty)
Secretary, NDMC

Copy to:

1. Commissioner (Transport), GNCTD
2. PS to Chairman, NDMC

Tel.: 91-11-23742451, Fax : 91-11-23363094 | e-mail: secretary@ndmc.gov.in

Scanned with OKEN Scanner